GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF RAILWAYS
(RAILWAY BOARD)
****

No. 2007/TG-I/20/P/ATAS **New Delhi, dated 14.10.2015**

The Chief Commercial Manager, Northern Railway, New Delhi

CMD/IRCTC, New Delhi.

MD/CRIS, Chanakyapuri, New Delhi

(Commercial Circular No. 61 of 2015)

Sub: Introduction of Alternate Train Accommodation Scheme – "VIKALP".

With a view to provide confirmed accommodation to waitlisted passengers and also to ensure optimal utilisation of available accommodation, a scheme called "VIKALP" has been conceptualised and is being introduced w.e.f. 01.11.2015 initially only for the tickets booked through internet as a pilot project for six months, on Delhi-Lucknow & Delhi-Jammu sectors of Northern Railway. In this scheme, wait listed passengers of a train can opt for confirmed accommodation in alternate trains. The salient features of this scheme are enclosed.

2. It is requested that a wide publicity may be given to the features of this scheme for information of general public.

DA: As above

(Vikram Singh)
Director Passenger Marketing
Railway Board

Copy to:

1. CCMs, all Zonal Railways (except Northern Railway)
2. CCM/PMs and CCM/PSs, all Zonal Railways.
3. ADG/PR, EDV(T), EDFC, DF(C), OSD/TC, F(C) & V(SS) branches of Railway Board.
4. GGM/IT/IRCTC, B 148, 11th Floor, Statesman House, Barakhamba Road, New Delhi - 110001
5. General Manager/PRS-I, CRIS, Chanakyapuri, New Delhi.
6. Director General, Professor/Training & Professor/Commercial Railway Staff College, Vadodara.
7. The Principals, Zonal Railway Training Institutes, Central Railway/Bhusawal, Eastern Railway/Bhuli-Dhanbad, Northern Railway/Chandausi, East Central railway/Muzaffarpur, NF Railway/Alipurduar, Southern Railway/Trichy, South Central Railway/Moula Ali, SE Railway/Sini, North Western Railway/Udaipur.
8. Director, Indian Railway Institute of Transport Management, Hardoi Bypass Road, Manak Nagar, Lucknow-2260011.
9. General Secretary, National Federation of Indian Railwaymen (NFIR), 3, Chelmsford Road, New Delhi.
10. General Secretary, All India Railwaymen Federation (AIRF), 4, State Entry Road, New Delhi.
11. Secretary General, Federation of Railway Officers Association (FROA), Room No. 370, Rail Bhawan, New Delhi.
12. Secretary General, Indian Railways Promotee Officers Federation (IRPOF), Room No. 268, Rail Bhawan, New Delhi.
13. Secretary General, All India RPF Association, Room No. 256-D, Rail Bhawan, New Delhi.
14. CTM, Metro Railway, Metro Rail Bhawan, 33/1, J.L. Nehru Road, Kolkata-71.

*****

Dell/B/my documents/LETTER/letter_2015

ALTERNATE TRAIN ACCOMMODATION SCHEME – "VIKALP"

TERMS AND CONDITIONS:

GENERAL

- The Alternate Train Accommodation Scheme (ATAS) is presently being launched under the name "Vikalp" on pilot basis only for the tickets booked through internet on two sectors i.e. Delhi–Jammu and Delhi-Lucknow sectors. Based on the feedback it will be provided on PRS and also on other sectors.

- The scheme is presently being implemented only across Mail/Express trains of same category.

- No extra charges shall be taken from passenger or any refund shall be provided for difference of fare.

- The scheme is applicable to all waiting list passengers irrespective of booking quota and concession. In pilot phase the scheme will be available on few pre-designated trains in the above sectors only.

- Under this scheme, Waiting list passengers will give choice to opt for ATAS scheme.

- ATAS opted passengers who remain fully Waitlisted after charting will only be considered for allotment in the alternate train.

- ***Fully WL passengers opted for ATAS should check PNR status after charting.***

- Either all passengers of a PNR or none will be transferred to alternate train in same class. The passenger can be considered for shifting to a train leaving from any station amongst the cluster of stations defined by Railways based on the convenience of the passengers to a station serving the destination station on the same analogy.

- The ATAS opted passengers who have been provided accommodation in the alternate train will not figure in the waitlisted charts of their original train. A separate list of passengers transferred in alternate train will be pasted along with the CONFIRMED and WAITLIST charts.

- **The passenger allotted alternate accommodation can travel in the alternate train on authority of original ticket.**

- Waitlisted passengers of original train shall not be allowed to board the original train if allotted alternate accommodation. If found travelling, they will be treated as travelling without ticket and charged accordingly.

- Passengers once provided alternate accommodation in alternate train will be treated as normal passengers in alternate train and will be eligible for up gradation.

- In rare situations, passengers who have been provided alternate accommodation might get dropped/re-allotted in alternate train due to last minute change in composition of the alternate train at the time of chart preparation. So, **passengers who have been provided alternate accommodation should check PNR status also after preparation of charts of the alternate train for final status.**

- This information will be available on Call Centre (139), PRS Enquiry Counters, Passenger Operated Enquiry Terminals installed at stations and WEB ENQUIRY on www.indianrail.gov.in.

- When an ATAS opted passenger opts to cancel, after he/she has been given an alternate accommodation, he/she will be treated as a CONFIRMED passenger and the cancellation rules will apply accordingly.

- No refund for difference of fare between the original train and the alternate train, including Tatkal charges, if any, will be given to re-allocated passengers.

- Once an ATAS passenger has been allotted alternate accommodation, journey modification will not be permitted. If required, the passenger will have to cancel the ticket and book a fresh ticket for modified journey.

- When a passenger who has been allotted alternate accommodation has not performed his journey in the alternate train, he can claim for refunds by filing a TDR request.

IMPORTANT PASSENGER INFORMATION:-

PLEASE NOTE

1) **Opting for VIKALP does not mean that confirmed berth will be provided to passengers in alternate train. It is subject to train and berth availability.**

2) **Once confirmed in Alternate train, Cancellation charges will be as per your berth/train status in alternate train.**

3) **In this scheme, your boarding and terminating station might change to nearby cluster stations.**

4) **You can be transferred to any alternate train available within 12 hrs from the scheduled departure of original train, in which you have booked.**

5) **Please check PNR status after charting.**

IMPORTANT INSTRUCTIONS FOR DBA:

1. H/20 switch needs to be set along with ATAS effective date range to define trains under ATAS scheme, so that option for alternate accommodation will be taken from waitlisted passengers booked in the train.

   NOTE: It is suggested that the scheme be launched with effect from ARP opening date or no-booking date of main train otherwise it will lead to breach of priority for waitlisted passengers booked in same TDRC prior to launch.

2. For grouping of trains under ATAS scheme, a feature is provided in GUIDBA. Using this option Database operator can define set of main trains with every alternate train to which WL passengers will be transferred. E.g. Alternate train S is mapped to main trains M1, M2, M3; then waitlist passengers of M1, M2 and M3 will be transferred to vacant berths in train S. Flexibility to indicate scheme start date and end date with special/alternate train is also provided. While defining these pairs, following restrictions are imposed by the system:
   a) Train type of main train as well as alternate train should be same.

   b) Train source station of main train and alternate train can be from cluster of principle stations.

   c) Destination station or principle station of alternate train should be present as a valid ISL in main train.

   d) The scheduled departure of the alternate train is at least ½ hour and maximum 24 hours after the scheduled departure of original train.

   NOTE: In case the scheme is to be applied on all trains of a sector to balance load across different trains in the sector, then multiple pairs should be defined by DBA. For example: If there are 4 trains in a sector say A, B, C and D and it is desired that waitlist in any of these 4 trains if present should be transferred to vacant berth in any of these 4 trains if available i.e. every train is a main train as well as alternate train based on availability status at the time of charting. Then database will have to define 4 pairs of ATAS group, one for each train as alternate trains and other three trains as main train i.e. B, C and D will be main train for A; A, C and D will be main train for B and so on. Also it will be required to set

ATAS flag (H/20) on all these 4 trains so that ATAS option from Waitlist passengers is taken in all 4 trains.

3. In alternate/special train, database operator can mark the train as reserved for ATAS in a given period i.e. only ATAS opted waitlist passengers will be transferred to this train and no normal booking will be allowed in the train.

4. In alternate/special train, database operator can also mark a particular coach as reserved for ATAS in a given period i.e. ATAS opted waitlist passengers will be transferred to this coach first and no normal booking will be allowed in this coach. Coaches blocked for ATAS in alternate trains will have only GN quota defined in it.

5. Resetting of chart switch will not be permitted in main trains which are marked under ATAS Scheme i.e. once charts are prepared for the main train it could not be reverted back in any scenario.

भारत सरकार
रेल मंत्रालय
(रेलवे बोर्ड)

*****

सं. 2007/टीजी-I/20/पी/एटीएएस **नई दिल्ली, दिनांक 14.10.2015**

मुख्य वाणिज्यिक प्रबंधक, उत्तर रेलवे, नई दिल्ली

मुख्य प्रबंध निदेशक/आईआरसीटीसी, नई दिल्ली

प्रबंधक निदेशक/क्रिस, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली

(2015 का वाणिज्य परिपत्र सं.61)

विषय: वैकल्पिक गाड़ी स्थान योजना "विकल्प" को शुरू करना।

प्रतीक्षा सूची के यात्रियों को गाड़ी में कन्फर्मड स्थान मुहैया कराने और उपलब्ध स्थान के इष्टतम उपयोग को सुनिश्चित करने की दृष्टि से "विकल्प" के नाम से एक योजना की संकल्पना की गई है और इसे शुरूआत में उत्तर रेलवे के दिल्ली-लखनऊ एवं दिल्ली-जम्मू सेक्टरों पर छः माह के लिए एक पायलट परियोजना के रूप में केवल इंटरनेट के माध्यम से बुक की गई टिकटों के लिए 01.11.2015 से आरम्भ किया जा रहा है। इस योजना में गाड़ी के प्रतीक्षा सूची के यात्री वैकल्पिक गाड़ी में कन्फर्मड स्थान का विकल्प चुन सकते हैं। इस परियोजना की प्रमुख विशेषताएं संलग्न हैं।

2. यह अनुरोध है कि इस योजना की विशेषताओं का आम जनता के सूचनार्थ व्यापक प्रचार किया जाए।

संलग्नक: यथोक्त

(विक्रम सिंह)
निदेशक यात्री विपणन
रेलवे बोर्ड

VIKALP

प्रतिलिपि प्रेषित:

1) सीसीएम, सभी क्षेत्रीय रेलें (उत्तर रेलवे को छोड़कार)
2) सीसीएम/पीएम व सीसीएम/पीएस, सभी क्षेत्रीय रेलें।
3) एडीजी/पीआर, का नि सतर्कता(टी), का नि एफ (सी), निदेशक एफ (सी), वि का अधिकारी/टी सी, वित्त (सी) व सतर्कता (एस एस) शाखाएं रेलवे बोर्ड।
4) जीजीएम/आईटी/आईआरसीटीसी, बी-148, 11वीं मंजिल, स्टैट्समैन हाउस, बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली- 110001.
5) महाप्रबंधक/पीआरएस-I, क्रिस, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली।
6) महानिदेशक, प्रोफेसर/ प्रशिक्षण तथा प्रोफेसर/ वाणिज्य रेलवे स्टाफ कॉलेज, वड़ोदरा।
7) प्रिंसिपल, क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्र, मध्य रेलवे/भुसावल, पूर्व रेलवे/भूली,धनवाद, उत्तर रेलवे/ चंदौसी, पूर्वोत्तर रेलवे/ मुजफ्फरपुर, पूर्वोत्तर सीमा रेलवे/ अलीपुरद्वार, दक्षिण रेलवे/ त्रिची, दक्षिण मध्य रेलवे/मौला अली, दक्षिण पूर्व रेलवे/सिनी, उत्तर पश्चिम रेलवे/ उदयपुर।
8) निदेशक, भारतीय रेल परिवहन प्रबंधन संस्थान, हरदोई बाईपास रोड, मानक नगर, लखनऊ 226 001.
9) जनरल सेक्रेटरी, नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवेमैन (एनएफआईआर), 3,चेम्सफोर्ड रोर्ड, नई दिल्ली ।
10) जनरल सेक्रेटरी, ऑल इंडिया रेलवेमैन फेडरेशन (एआईआरएफ), 4, स्टेट एंट्री रोड, नई दिल्ली।
11) सेक्रेटरी जनरल, फेडरेशन ऑफ रेलवे आफिसर्स एसोसिएशन, (एफआरओए), कमरा नं 370, रेल भवन, नई दिल्ली।
12) सेक्रेटरी जनरल, इंडियन रेलवे प्रमोटी आफिसर्स फेडरेशन, (आईआरपीओएफ), कमरा नं 268, रेल भवन, नई दिल्ली।
13) सेक्रेटरी जनरल, ऑल इंडिया आरपीएफ एसोसिएशन, कमरा नं 256- डी, रेल भवन, नई दिल्ली।
14) सीटीएम, मैट्रो रेलवे, मैट्रो रेल भवन, 33/1, जे एल नेहरू रोड, कोलकाता-71.

वैकल्पिक ट्रेन एकोमोडेशन स्कीम - "विकल्प"

निबंधन एवं शर्तें

सामान्य

- "विकल्प" नामक वैकल्पिक ट्रेन एकोमोडेशन स्कीम (एटीएएस) वर्तमान में दो खण्डों अर्थात् दिल्ली-जम्मू और दिल्ली-लखनऊ सेक्टरों में केवल इंटरनेट के माध्यम से बुक की गई टिकटों के लिए पायलट आधार पर शुरू की जा रही है। इनसे प्राप्त फीडबैक के आधार पर इसकी व्यवस्था पीआरएस और अन्य सेक्टरों में भी की जाएगी।
- यह स्कीम वर्तमान में केवल समान कोटि की सभी मेल/एक्सप्रेस गाड़ियों में लागू की जा रही है।
- यात्रियों से कोई अतिरिक्त प्रभार नहीं लिया जाएगा या किराए के अंतर के लिए कोई रिफंड नहीं किया जाएगा।
- यह स्कीम बुकिंग कोटा और रियायत को ध्यान में रखे बिना प्रतीक्षा-सूची वाले सभी यात्रियों के लिए लागू है। पायलट चरण में यह स्कीम केवल उपर्युक्त सेक्टरों में कुछ ही पूर्व-निर्धारित गाड़ियों में उपलब्ध होगी।
- इस स्कीम के अंतर्गत, प्रतीक्षा-सूची वाले यात्रियों के पास एटीएएस स्कीम चुनने का विकल्प होगा।
- एटीएएस का चुनाव करने वाले यात्री जो चार्ट तैयार होने के बाद पूर्णत: प्रतीक्षा-सूची में रह जाते हैं, उन्हें वैकल्पिक गाड़ी में स्थान आबंटित करने पर विचार किया जाएगा।
- **चार्ट तैयार होने के बाद एटीएएस का विकल्प दिए हुए पूर्णत: प्रतीक्षा-सूची में रह गए यात्रियों को पीएनआर की स्थिति की जांच करनी चाहिए।**
- एक पीएनआर के या तो सभी यात्रियों को वैकल्पिक गाड़ी में समान श्रेणी में ट्रांसफर किया जाएगा अथवा किसी भी यात्री को ट्रांसफर नहीं किया जाएगा। यात्रियों को उनकी सुविधा के अनुसार रेलवे द्वारा परिभाषित स्टेशनों के समूहों में से किसी स्टेशन से चलने वाली किसी ऐसी गाड़ी से किसी ऐसे स्टेशन जो गंतव्य स्टेशन को सेवित करती हो, में भेजा जा सकता है।
- एटीएएस का चुनाव करने वाले उन यात्रियों जिन्हें वैकल्पिक गाड़ी में स्थान मुहैया कराया गया हो, उनका नाम उनकी मूल गाड़ी की प्रतीक्षा-सूची में प्रदर्शित नहीं किया जाएगा। कन्फर्म्ड एवं प्रतीक्षा-सूची चार्ट के साथ-साथ वैकल्पिक गाड़ी में ट्रांसफर यात्रियों की एक अलग सूची चिपकाई जाएगी।

- **वैकल्पिक एकोमोडेशन आबंटित किए गए यात्री मूल टिकट के प्राधिकार पर वैकल्पिक गाड़ी में यात्रा कर सकते हैं।**
- यदि मूल गाड़ी के प्रतीक्षा-सूची वाले यात्रियों को वैकल्पिक स्थान आबंटित किया जाता है तो उन्हें मूल गाड़ी में चढ़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यदि वे यात्रा करते हुए पाए जाएंगे तो उन्हें बिना टिकट यात्रा करते हुए माना जाएगा और तदनुसार प्रभार लिया जाएगा।
- जिन यात्रियों को एक बार वैकल्पिक गाड़ी में वैकल्पिक स्थान मुहैया करा दिया जाएगा, उन्हें वैकल्पिक गाड़ी में सामान्य यात्री के रूप में माना जाएगा और वे अपग्रेड किए जाने के पात्र होंगे।
- विरल परिस्थितियों में, ऐसे यात्रियों जिन्हें वैकल्पिक एकोमोडेशन मुहैया कराया गया है, चार्ट तैयार करने के समय वैकल्पिक गाड़ी के संघटन में अंतिम समय में परिवर्तन होने के कारण उन्हें वैकल्पिक गाड़ी में दिया गया स्थान वापस लिया जा सकता है या उन्हें आबंटित सीट में परिवर्तन किया जा सकता है। **अतः, जिन यात्रियों को वैकल्पिक एकोमोडेशन मुहैया कराया गया है, उन्हें अंतिम स्थिति की जानकारी के लिए वैकल्पिक गाड़ी का चार्ट तैयार होने के बाद भी पीएनआर की स्थिति की जांच कर लेनी चाहिए।**
- यह सूचना कॉल सेंटर (139), पीआरएस पूछताछ काउन्टरों, स्टेशनों पर स्थापित किए गए यात्री चालित पूछताछ टर्मिनलों और www.indianrail.gov.in की वेब इंक्वायरी पर उपलब्ध होगी।
- जब एटीएएस का चुनाव करने वाला यात्री वैकल्पिक एकोमोडेशन दिए जाने के बाद टिकट रद्द करने का फैसला करता है तो उसे कन्फर्मड यात्री माना जाएगा और तदनुसार रद्दकरण नियम लागू होंगे।
- पुनः आबंटित यात्रियों को तत्काल प्रभार, यदि कोई हो, सहित मूल गाड़ी और वैकल्पिक गाड़ी के बीच किराए में अंतर की कोई धन वापसी नहीं की जाएगी।
- जब एटीएएस यात्री को एक बार वैकल्पिक स्थान आबंटित कर दिया जाता है तो यात्रा में संशोधन करने की अनुमति नहीं होगी। यदि अपेक्षित हो तो यात्री को टिकट रद्द कराना होगा और संशोधित यात्रा के लिए नया टिकट बुक कराना होगा।
- जब कोई ऐसे यात्री, जिन्हें वैकल्पिक एकोमोडेशन आबंटित किया गया हो, वैकल्पिक गाड़ी में अपनी यात्रा नहीं करते हैं तो वे टीडीआर अनुरोध दायर करके धन वापसी का दावा कर सकते हैं।

महत्वपूर्ण यात्री सूचना

कृपया ध्यान दें

1) विकल्प (वीआईकेएएलपी) का चयन देने का अर्थ यह नहीं है कि वैकल्पिक गाड़ी में यात्रियों को कन्फर्म्ड बर्थ मुहैया अवश्य कराया जाएगा। यह गाड़ी एवं बर्थ की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

2) वैकल्पिक गाड़ी में एक बार स्थान कन्फर्म हो जाने पर रद्दकरण प्रभार, वैकल्पिक गाड़ी में आपके बर्थ/गाड़ी की स्थिति के अनुसार होगा।

3) इस योजना में, आपका आरंभिक और अंतिम स्टेशन, निकटवर्ती स्टेशनों के समूह में से किसी एक स्टेशन में बदल सकते हैं।

4) मूल गाड़ी, जिसमें आपका टिकट बुक किया गया था, के निर्धारित प्रस्थान समय से 12 घंटे के भीतर उपलब्ध किसी वैकल्पिक गाड़ी में आपको स्थानांतरित किया जा सकता है।

5) कृपया चार्ट तैयार होने के बाद पीएनआर की स्थिति की जांच कर लें।

डीबीए के लिए महत्वपूर्ण अनुदेश

1. एटीएएस स्कीम के अंतर्गत गाड़ियों को निर्धारित करने के लिए एच/20 स्विच को एटीएएस के प्रभावी होने की तारीख के साथ सेट किया जाना चाहिए ताकि गाड़ी में बुक किए गए प्रतीक्षा-सूची वाले यात्रियों से वैकल्पिक एकोमोडेशन के लिए विकल्प लिया जा सके।

नोट: यह सुझाव दिया जाता है कि इस स्कीम को एआरपी चालू होने की तारीख से या मुख्य गाड़ी में बुकिंग नहीं होने की तारीख से शुरू की जाए, अन्यथा उसी टीडीआरसी में इसके शुरू होने से पूर्व बुक किए गए प्रतीक्षा-सूची वाले यात्रियों की प्राथमिकता भंग हो जाएगी।

2. एटीएएस स्कीम के अंतर्गत गाड़ियों का समूह बनाने के लिए जीयूआईडीबीए में एक विशिष्टता (फीचर) की व्यवस्था की गई है। इस विकल्प का प्रयोग करके डाटाबेस ऑपरेटर उस प्रत्येक वैकल्पिक गाड़ी जिसमें प्रतीक्षा-सूची वाले यात्रियों को स्थानांतरित किया जाएगा, के साथ मुख्य गाड़ियों का सेट निर्धारित कर सकते हैं; जैसे वैकल्पिक गाड़ी S की व्यवस्था मुख्य गाड़ी M1,M2, M3 के साथ की जाती है तो M1, M2 और M3 के यात्रियों को गाड़ी S के खाली बर्थों पर स्थानांतरित किया जाएगा। विशेष/वैकल्पिक गाड़ी के साथ इस स्कीम के आरंभ होने और अंत होने की तारीख दर्शाने की छूट भी दी जाएगी। इन युग्मों को निर्धारित करते समय, सिस्टम द्वारा निम्नलिखित प्रतिबंध लगाए जाएंगे:

क) मुख्य गाड़ी और वैकल्पिक गाड़ी की किस्म एकसमान होनी चाहिए।

ख) मुख्य गाड़ी और वैकल्पिक गाड़ी के लिए गाड़ी स्रोत स्टेशन मुख्य स्टेशनों के समूह से हो सकता है।

ग) वैकल्पिक गाड़ी का गंतव्य स्टेशन या प्रधान स्टेशन, मुख्य गाड़ी में वैध आईएसएल के रूप में मौजूद होना चाहिए।

घ) वैकल्पिक गाड़ी का निर्धारित प्रस्थान समय मुख्य गाड़ी के निर्धारित प्रस्थान समय के बाद कम से कम 1/2 घंटा और अधिकतम 24 घंटा होना चाहिए।

नोट: यदि किसी सेक्टर में विभिन्न गाड़ियों में दबाव संतुलित करने के लिए इस स्कीम को सभी गाड़ियों में लागू करना हो तो डीबीए द्वारा अनेक युग्म निर्धारित करने चाहिए। उदाहरण के लिए, मान लें यदि किसी सेक्टर में A, B, C और D चार गाड़ियां हैं और अपेक्षा की जाती है कि यदि इन चार गाड़ियों में से किसी भी गाड़ी में प्रतीक्षा-सूची मौजूद हो तो उन चार गाड़ियों में से किसी भी गाड़ी में बर्थ उपलब्ध होने पर ऐसा स्थानान्तरण किया जाना चाहिए अर्थात् चार्ट तैयार करते समय उपलब्धता की स्थिति के आधार पर प्रत्येक गाड़ी मुख्य गाड़ी और वैकल्पिक

VIKALP

गाड़ी दोनों हो तो ऐसी स्थिति में डाटाबेस को एटीएएस ग्रुप के चार युग्मों के रूप में निर्धारित किया जाएगा। प्रत्येक गाड़ी के लिए वैकल्पिक गाड़ी के रूप में एक गाड़ी और अन्य तीन गाड़ियों को मुख्य गाड़ी अर्थात् A के लिए B, C और D मुख्य गाड़ी होंगी, B के लिए A, C और D मुख्य गाड़ी होगी और इसी प्रकार आगे भी किया जाएगा। इसके अलावा इन सभी यात्रियों में एटीएएस फ्लैग (H/20) सेट करना अपेक्षित होगा ताकि सभी गाड़ियों में प्रतीक्षा सूची के यात्रियों से एटीएएस विकल्प लिया जा सके।

3. वैकल्पिक/विशेष गाड़ी के मामले में डाटाबेस ऑपरेटर दी गई अवधि में गाड़ी को एटीएएस के लिए आरक्षित रूप में चिह्नित कर सकता है अर्थात् केवल एटीएएस ऑप्ट किए गए प्रतीक्षा सूची के यात्रियों को ही इस गाड़ी में कोई स्थान मुहैया कराया जाएगा और इस गाड़ी में कोई सामान्य बुकिंग की अनुमति नहीं होगी।

4. वैकल्पिक/विशेष गाड़ी के मामले में डाटाबेस ऑपरेटर दी गई अवधि में एक विशिष्ट कोच को एटीएएस के लिए आरक्षित के रूप में भी चिह्नित कर सकता है अर्थात् एटीएएस ऑप्ट किए गए प्रतीक्षा सूची के यात्रियों को पहले इस कोच में स्थान मुहैया कराया जाएगा और इस कोच में कोई सामान्य बुकिंग की अनुमति नहीं होगी। वैकल्पिक गाड़ियों में एटीएएस के लिए ब्लॉक किए गए कोचों में केवल निर्धारित जनरल कोटा ही होगा।

5. इन मुख्य गाड़ियों, जो एटीएएस योजना के अंतर्गत चिह्नित है, में चार्ट को पुन: तैयार करने की अनुमति नहीं होगी अर्थात् मुख्य गाड़ी के लिए एक बार चार्ट तैयार होने के बाद इसे किसी भी परिस्थिति में फिर से तैयार नहीं किया जाएगा।